ग्राम पंचायत दारपा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत दारपा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री श्रवण कुमार	1.4.14 से 22.1.2016
2	श्रीमती राजो देवी	23.1.16 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सरोज कुमार	1.4.14 से 13.1.17
2	श्री जिया लाल	14.1.17 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत दारपा के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना	–
2	5	पंचायत राजस्व (गृहकर) वसूली हेतु शेष	0.35
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	13.15
4	7	बिना प्राक्कलन तैयार किए निर्माण कार्यों का करवाना	14.60

5	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर क्रय करना	2.19
6	9	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	3.98
7	10	बिना उचित बिल/वाउचर के अनियमित व्यय	0.24

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत दारपा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 28.8.17 से 1.9.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014–15	09/14	07/2014
2015–16	10/15	01/2016
2016–17	03/17	02/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होंने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत दारपा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 1.9.17 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत दारपा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अंकेक्षण अवधि 1.4.14 से 31.3.17 से सम्बन्धित सभी प्राप्तियों तथा भुगतानों की प्रविष्टि एक ही रोकड़ बही में की गई तथा इस राशि को एक ही बैंक खाता संख्या 32310108810 में रखा गया तथा पंचायत द्वारा सभी वित्तीय लेनदेन इसी बैंक खाते के माध्यम से किये गए तथा पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार लेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया। इस कारण स्वः स्त्रोत तथा अनुदानों की पृथक—2 वित्तीय स्थिति नहीं बनाई जा सकी, यद्यपि ग्राम पंचायत दारपा की संयुक्त वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति		कुल योग	व्यय		कुल व्यय	अन्तशेष
		स्वःस्त्रोत	अनुदान		स्वःस्त्रोत	अनुदान		
2014—15	214854	4594	843855	1063303	25648	802198	827846	235457
2015—16	235457	4591	1951524	2191572	33524	1590936	1624460	567112
2016—17	567112	34567	3432013	4033692	75371	2749390	2824761	1208931

नोटः— (i) ग्राम पंचायत के अभिलेख के अनुसार दिनांक 31.3.2014 से पूर्व ₹15480 के सभा निधि व्ययों का भुगतान प्राप्त हुए अनुदानों से किया गया था।

(ii) ग्राम पंचायत अभिलेख के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक कुल ₹106271 के सभा निधि व्ययों का स्वः स्त्रोतों से प्राप्ति न होने के कारण प्राप्त हुए अनुदानों से भुगतान किया गया था।

4.1 रोकड़ बही तथा बैंक में खातों के दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष में ₹432.33 का अन्तरः—

	दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही का अन्तशेष	1208931
	दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि (संलग्न विवरण **परिशिष्ट—II**)	1221614.33
	अन्तर	12683.33
	अन्तर का कारण	
(i)	मार्च 2015 में बैंक खाते में जमा ब्याज जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं	4968

(ii)	मार्च 2016 में बैंक खाते में जमा ब्याज जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं	7243
(iii)	दिनांक 20.10.2015 को बैंक खाते में जमा अनुदान ₹11940 जिसकी रोकड़ बही में ₹11900 की प्रविष्टि की गई (11940–11900)	40
	शेष अन्तर 432.33	12251

रोकड़ बही का बैंक खाते के साथ समय पर नियमानुसार मिलान न करने के कारण अभी भी बैंक खातों के अन्तशेष तथा रोकड़ बही के अन्तशेष में ₹432.33 का अन्तर है, जिसका मिलान करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 001 दिनांक 30.8.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नहीं किया गया, जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत दारपा की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹0.35 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट–III** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत के राजस्व/गृहकर ₹34560 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹13.15 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट—I)** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान ₹1315202 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹14.60 लाख का अनियमित व्यय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। चयनित मासों में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—IV** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹1460000 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.19 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं अर्थात निविदाएँ आमन्त्रित करना आदि प्रावधित हैं व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि

परिशिष्ट–V में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹218693 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 क्रय सामग्री ₹3.98 लाख की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 तथा 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि करने जारी करने तथा भण्डारण से सम्बन्धित औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–VI** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹398049 की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टि न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

10 बिना उचित बिल/वाउचर के ₹0.24 लाख का अनियमित व्यय:–

चयनित मासों के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में यद्यपि व्ययों का भुगतान किया गया था परन्तु व्ययों से सम्बन्धित वाउचर जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गए। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 31.8.17 जारी की गई परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक वाँछित कार्रवाई नहीं की गई। अतः इन वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये अन्यथा इन भुगतानों की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये।

क्र0सं0	वा0सं0/माह	विवरण	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि
1	60 माह 12/16	अदायगी विविध क्रय (तसलें, गैंती इत्यादि)	01	4860
2	61 माह 12/16	रंग रोवन पंचायत घर	01	12048
3	62 माह 12/16	जलपान ग्राम सभा	01	4500
4	63 माह 12/16	स्टेशनरी की खरीद	01	2500
			कुल योग	**23908**

11 माप पुस्तिकाओं का सत्यापन न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (2) (ii) तथा 105 के अनुसार पंचायत द्वारा करवाये गये विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सत्यापन करना अनिवार्य है, परन्तु ग्राम पंचायत के तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन कनिष्ठ अभियन्ता से नहीं करवाया गया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गए सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं की प्रविष्टियों का सत्यापन करवाना सुनिश्चित किया जाये।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, विभिन्न रजिस्टर का अनुरक्षण, ग्राम पंचायत द्वारा, अनिवार्य है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवम आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार निम्न रजिस्टरों का रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाये।

(i) अनुदान रजिस्टर

(ii) यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर

(iii) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर

(iv) गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर

(v) प्रतिस्थापना बिल चैक रजिस्टर

(vi) स्टैम्प रजिस्टर

(vii) स्टेशनरी रजिस्टर

(viii) वर्गीकृत सार रजिस्टर

13 विविध अनियमितताएँः–

(i) ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि के व्ययों का भुगतान अनुदान राशियों से किया जा रहा है, क्योंकि सभा निधि (स्वः स्त्रोत) आय की वसूली के कोई प्रयास नहीं किये गये है। अतः दिनांक 31.3.17 तक किये गए ऐसे व्ययों ₹106271 का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) अंकेक्षणाधीन अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक ग्राम पंचायत द्वारा गृह कर की कोई वसूली नहीं की गई है। अतः नियमानुसार गृहकर वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(iii) पंचायत की स्वः स्त्रोतों की आय का अंकेक्षण करने पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के दौरान भू–राजस्व की वसूली नहीं की गई और न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किये गए थे। अतः नियमानुसार भू–राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित किया जाये।

14 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** अंकेक्षण में पाई गई लघु आपत्तियों का, अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया। अतः इस विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

15 **निष्कर्षः–** ग्राम पंचायत दारपा के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (11) 32/2017–खण्ड–1–744–747दिनाँक 29.01.2018
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत दारपा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046